रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2014/श्रावण 6, 1936
No. 1538] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2014/SHRAVANA 6, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2014

का. आ. 1912(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 19 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एतद्द्वारा 20 अगस्त, 2014 या दूसरे सदस्य की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी) के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में क्रमश: न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर तथा श्री राहुल सरीन की नियुक्ति के साथ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी) की पुनर्संरचना की है।

[फा. सं. ए-12023/001/2009-एडी(Vol.III)]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2014

S. O. 1912 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, the Central Government hereby reconstitutes Airport Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal (AERAAT) with appointment of Justice V.S. Sirpurkar and Shri Rahul Sarin as Chairperson and Member respectively of AERAAT up to 20th August, 2014 or till the second Member is appointed, whichever is earlier.

[F. No. A-12023/001/2009-AD (Vol.III)]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

3023 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.